झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

विषय :– राज्य योजनान्तर्गत संचालित "मुख्यमंत्री सुकन्या योजना" के स्थान पर " सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना " का कार्यान्वयन तथा एतद्संबंधी संशोधित मार्ग निर्देश की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प संख्या–2020, दिनांक– 21.08.2019 द्वारा स्वीकृत राज्य योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री सुकन्या योजना राज्य में क्रियान्वित है। सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त संकल्प को विलोपित करते हुए राज्य योजनान्तर्गत संचालित " मुख्यमंत्री सुकन्या योजना " के स्थान पर **" सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना "** का कार्यान्वयन तथा इस हेतु निम्न रुपेण नये मार्ग निर्देश की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

2.1 (i) <u>योजना का नाम</u> :–

राज्य योजनान्तर्गत संचालित " मुख्यमंत्री सुकन्या योजना " का कार्यान्वयन **" सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना "** के परिवर्तित नाम से की जायेगी।

(ii) <u>योजना का उद्देश्य</u> :–

(क) महिला सशक्तिकरण।

(ख) बालिका शिक्षा पर जोर।

(ग) बाल विवाह प्रथा का अन्त।

(घ) उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृत्ति को कम कराना एवं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।

(ड़) किशोरियों के स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता।

(च) किशोरियों की अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।

2.2 <u>योजना का स्वरुप</u> :–

इस योजना के तहत् कंडिका–2.3 में वर्णित पात्रता के बालिकाओं को निम्नवत् आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी :–

क्र0	लाभुक वर्ग		आर्थिक लाभ की राशि
(i)	कक्षा 8 में नामांकित बालिका	–	रु0 2,500/–
(ii)	कक्षा 9 में नामांकित बालिका	–	रु0 2,500/–
(iii)	कक्षा 10 में नामांकित बालिका	–	रु0 5,000/–
(iv)	कक्षा 11 में नामांकित बालिका	–	रु0 5,000/–
(v)	कक्षा 12 में नामांकित बालिका	–	रु0 5,000/–
(vi)	18–19 वर्ष की आयु की बालिका को एक मुश्त अनुदान	–	रु0 20,000/–

2.3 <u>योजनान्तर्गत लाभ हेतु लाभार्थी की पात्रता</u> :–

योजनान्तर्गत लाभ हेतु लाभार्थी द्वारा आवेदन किया जायेगा एवं लाभार्थी को आवेदन करने की तिथि तक निम्न पात्रता आवश्यक होगी :–

i. (a) यह सहायता माता की प्रथम दो पुत्रियों को देय होगी।
   (b) लाभार्थी की माता द्वारा इस आशय का स्व–घोषणा पत्र समर्पित किया जायेगा जिसे आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

ii. इस योजना के तहत् सरकारी/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित/महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित/*National Child Labour Project* (*NCLP*) के अन्तर्गत संचालित/झारखण्ड सरकार द्वारा प्रबंधित/अनुदानित विद्यालयों में कक्षा– 8 से कक्षा– 12 में अध्ययनरत सभी अर्हताधारी बालिकाओं को आच्छादित किया जाएगा।

iii. योजना के लाभार्थी वे बालिकाएँ होंगी जिनके :–
   (a) माता/पिता केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रुप से नियोजित अथवा से सेवानिवृत नहीं होंगे एवं इन नियोजनकर्त्ता से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होंगे।
   (b) माता/ पिता आयकर दाता नहीं होंगे।
   (c) आवेदिका की माता द्वारा इस आशय का स्व–घोषणा पत्र समर्पित किया जायेगा जिसे आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

iv. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त हो, जिसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

v. बालिका एवं उनके माता का आधार प्रमाण–पत्र उपलब्ध हो, जिसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

vi. बालिका का बैंक में/पोस्ट ऑफिस में खाता उपलब्ध हो, जिसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

vii. (a) आवेदन के क्रम में आवश्यकतानुरूप बालिका की माता के संबंधित अभिलेख/कागजात मान्य होंगे। बालिका की माता के मृत्यु की स्थिति में ही उसके पिता के संबंधित अभिलेख मान्य होंगे, किन्तु माता का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
   (b) बालिका के माता–पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में बालिका के पालक माता–पिता/अभिभावक के संबंधित कागजात मान्य होंगे। इस स्थिति में माता–पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं बाल कल्याण समिति द्वारा निर्गत किया गया अनाथ बालिकाओं के लिए प्रमाण–पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

viii. विभिन्न बाल गृहों/आश्रय स्थल अथवा अन्य में निवासित अनाथ/बेसहारा बालिकाओं के मामले में उनके निवास स्थल के संचालक उनके अभिभावक के रूप में मान्य होंगे। आवेदन के क्रम में लाभार्थी बालिका के अभिभावक के रूप में इन संचालक के संबंधित अभिलेख/कागजात मान्य होंगे।

ix. लाभार्थी बालिका के कंडिका– 2.2 में निर्दिष्ट कक्षा में नामांकन होने पर ही एवं इसका संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन के आधार पर लाभूक को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

x. लाभार्थी बालिका के दिव्यांग होने की स्थिति में कंडिका– 2.3 (i), 2.3 (ii) एवं 2.3 (iii) में उल्लेखित शर्त्तों में छूट दी जायेगी।

xi. (a) कंडिका–2.3 में उल्लिखित अंतिम किस्त के लिए आवेदन के समय लाभार्थी की आयु 18 से 19 वर्ष के बीच की होनी चाहिए।

(b) 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर लाभार्थी का नाम उस कैलेण्डर वर्ष के 01 जनवरी अथवा उसके पश्चात् पुरीक्षित झारखण्ड राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। लाभार्थी द्वारा आवेदन के समय स्वंय का मतदाता पहचान पत्र Electors Photo Indentification Card (EPIC) अपने आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(c) लाभार्थी द्वारा अपने 19 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पूर्व ही इस योजना के तहत् आवेदन करना अनिवार्य होगा।

2.4 योजनान्तर्गत लाभ हेतु आवेदन प्रक्रिया :–

i. लाभार्थी अपने क्षेत्र अन्तर्गत सीधे अथवा आँगनबाड़ी सेविका के माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में आवश्यक प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ii. प्रारंभ में इस योजना के तहत् पूरी प्रक्रिया Manually की जायेगी तथा कालान्तर में पूरी प्रक्रिया Online सम्पन्न कराई जायेगी।

2.5 योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया :–

i. बाल विकास परियोजना कार्यालय में योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर बाल विकास परियोजना के संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। लाभार्थियों के योग्य पाये जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों का आवेदन अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षोपरान्त स्वीकृति प्रदान किये जाने पर लाभुक के बैंक खाते में राशि ABPS/NEFT/RTGS/PFMS के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

2.6 योजना कार्यान्वयन पर व्यय भार :–

i. योजना कार्यान्वयन पर वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2022–23 में व्ययभार निम्नवत् अनुमानित है :–

क्र०	लाभुक वर्ग	आर्थिक लाभ की राशि (रू0 में)	अनुमानित लाभार्थियों की संख्या	अनुमानित राशि (रू0 में)
(i)	कक्षा 8 में नामांकित बालिका	2500/-	257729	64,43,22,500.00
(ii)	कक्षा 9 में नामांकित बालिका	2500/-	173976	43,49,40,000.00
(iii)	कक्षा 10 में नामांकित बालिका	5000/-	160092	80,04,60,000.00
(iv)	कक्षा 11 में नामांकित बालिका	5000/-	102513	51,25,65,000.00

(v)	कक्षा 12 में नामांकित बालिका	5000/-	96350	48,17,50,000.00
(vi)	18–19 वर्ष की आयु की बालिका को एक मुश्त अनुदान	20000/-	96000	1,92,00,00,000.00
	कुल	**40000/-**	**886660**	**4,79,40,37,500.00**

ii. योजना कार्यान्वयन हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2022–23 में 11479.00 लाख (एक अरब चौदह करोड़ उन्नासी लाख मात्र) का बजट उपबंध प्राप्त है एवं योजना कार्यान्वयन पर उपर्युक्त व्यय की संभावना के दृष्टिगत् आगामी अनुपूरक के माध्यम से शेष बजटीय उपबंध प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी। योजना का कार्यान्वयन इस राशि से कराया जायेगा।

iii. योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु योजना लगत का 2.00 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया जायेगा।

2.7 अन्यान्य :–

i. यह मार्गनिदेश एतद्संबंधी संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

ii. इस मार्ग–निदेश के निर्गत होने की तिथि से एतद् विषयक पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–2020, दिनांक–21.08.2019 विलोपित समझा जायेगा।

3. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद् के दिनांक–24.08.2022 की बैठक के मद संख्या–36 में स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/आदेश विलोपित समझा जायेगा।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रतियाँ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झाखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– **05/म०स०/रा०यो०–358/2018–**2033 **राँची, दिनांक :–**05/09/2022
प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : – **05/म०स०/रा०यो०–358/2018–**2033 **राँची, दिनांक :–**05/09/2022
प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झाखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा,

राँची / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड / निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची / महानिदेशक, झारखण्ड राज्य पोषण मिशन, राँची / निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची / निदेशक, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, राँची / परियोजना निदेशक, झारखण्ड महिला विकास समिति, राँची / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड / माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड / सचिव, झारखण्ड राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राँची / अवर सचिव, झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राँची / अवर सचिव, झारखण्ड राज्य महिला आयोग, राँची / अवर सचिव, राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची / सभी सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची / सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

विषय :– राज्य योजनान्तर्गत संचालित ''सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना'' के मार्ग निर्देशिका में आंशिक संशोधन की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प सं0–2033, दिनांक– 05.09.2022 द्वारा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के दृष्टिगत ''सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना'' के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

(क) महिला सशक्तिकरण।

(ख) बालिका शिक्षा पर जोर।

(ग) बाल विवाह प्रथा का अन्त।

(घ) उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृति को कम कराना एवं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।

(ङ) किशोरियों के स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता।

(च) किशोरियों की अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।

2. योजनान्तर्गत आच्छादान को व्यापक करने तथा वर्त्तमान परिदृश्य में कतिपय प्रमाण पत्रों के व्यवहार्यता/अनुपलब्धता को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त तथा योजना प्राधिकृत समिति द्वारा प्रदत्त शर्त्तों के आलोक में संकल्प की कंडिका–2.3 में वर्णित पात्रता के अतिरिक्त बिन्दु **2.3 (i.) (c)** के रुप में निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है :–

> **2.3 (i.) (c)** ''विवाह योग्य निर्धारित न्यूनतम कानूनी आयु के पूर्व लाभुक का विवाह नहीं हुआ हो।''

3. संकल्प की कंडिका 2.3 (iv) जिसमें पात्रता संबंधी प्रावधान :– ''बालिका का जन्म प्रमाण पत्र हो, जिसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा'' को विलोपित किया जाता है।

4. संकल्प की कंडिका 2.3 (vii) (b) को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

> बालिका के माता पिता की मृत्यु की स्थिति में बालिका के पालक माता–पिता/अभिभावक से संबंधित कागजात मान्य होंगे। इस स्थिति में माता–पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

5. संकल्प सं0–2033, दिनांक– 05.09.2022 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा। संशोधित मार्ग–निर्देशिका संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

6. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 09.02.2023 की बैठक में मद संख्या–20 के रुप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाये तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक – 05 / म0स० / रा0यो0 (SBPKSY)–385 / 2022 – 344 राँची, दिनांकः– 13.02.2023

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक – 05 / म0स० / रा0यो0 (SBPKSY)–385 / 2022 – 344 राँची, दिनांकः– 13.02.2023

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड / निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सभी कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

विषयः– राज्य योजनान्तर्गत संचालित ''सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना'' के मार्ग निर्देशिका में द्वितीय संशोधन की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प सं0–2033, दिनांक– 05.09.2022 द्वारा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के दृष्टिगत ''सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना'' के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

(क) महिला सशक्तिकरण।

(ख) बालिका शिक्षा पर जोर।

(ग) बाल विवाह प्रथा का अन्त।

(घ) उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृति को कम कराना एवं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।

(ङ) किशोरियों के स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता।

(च) किशोरियों की अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।

2. योजनान्तर्गत आच्छादान को व्यापक करने को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त संकल्प संख्या–2033, दिनांक– 05.09.2022 की कंडिका–2.3 में वर्णित पात्रता के बिन्दु 2.3 (i.) (a) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

पूर्व का प्रावधान	प्रतिस्थापन
i. (a) यह सहायता माता की प्रथम दो पुत्रियों को देय होगी।	यह सहायता माता की सभी पुत्रियों को देय होगी।

3. संकल्प संख्या–2033, दिनांक–05.09.2022 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा एवं संकल्प संख्या–344, दिनांक– 13.02.2023 के प्रावधान यथावत् रहेंगे। द्वितीय संशोधित मार्ग–निर्देशिका संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

4. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 15.12.2023 की बैठक में मद संख्या–23 के रुप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाये तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव

E: Pankaj/Rahul Jee /Mantriparishad Sanlekh Final H - 63 -

ज्ञापांक – 05 / म0स० / रा0यो0 (SBPKSY)–328 / 2023 – 3217 रॉंची, दिनांकः– 20-12-2023

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉंची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
18.12.23

ज्ञापांक – 05 / म0स० / रा0यो0 (SBPKSY)–328 / 2023 – 3217 रॉंची, दिनांकः– 20.12.2023

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, रॉंची / मुख्य सचिव, झारखण्ड, रॉंची / सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड / निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, रॉंची / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सभी कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
18.12.23

2263
18/09/24

(29)

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

विषय :– राज्य योजनान्तर्गत संचालित "सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना" से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् आर्थिक रुप से कमजोर एवं वंचित पृष्ठभूमि के निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर कक्षा–8 की नामांकित बालिकाओं के आच्छादन की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प सं0–2033, दिनांक– 05.09.2022 तथा अनुक्रमण में निर्गत विभागीय संकल्प सं0–344, दिनांक– 18.02.2023 एवं विभागीय संकल्प सं0–3217, दिनांक– 20.12.2023 द्वारा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य योजनान्तर्गत "सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना" क्रियान्वित है :–

(क) महिला सशक्तिकरण।

(ख) बालिका शिक्षा पर जोर।

(ग) बाल विवाह प्रथा का अन्त।

(घ) उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृति को कम कराना एवं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।

(ङ) किशोरियों के स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता।

(च) किशोरियों की अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।

2. उपर्युक्त संकल्पों के प्रवधानों के आलोक में योग्य बालिकाओं को निम्नवत् आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है :–

क्र० सं०	लाभुक वर्ग		आर्थिक लाभ का राशि
i.	कक्षा 8 में नामांकित बालिका	–	रु0 2500/–
ii.	कक्षा 9 में नामांकित बालिका	–	रु0 2500/–
iii.	कक्षा 10 में नामांकित बालिका	–	रु0 5000/–
iv.	कक्षा 11 में नामांकित बालिका	–	रु0 5000/–
v.	कक्षा 12 में नामांकित बालिका	–	रु0 5000/–
vi.	18–19 वर्ष की आयु की बालिका को एक मुश्त अनुदान	–	रु0 20000/–

3. उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रावधानों के तहत् आर्थिक रुप से कमजोर एवं वंचित पृष्ठभूमि के बालिकाओं का राज्य के निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर कक्षा–8 तक नामांकन किया जाता है। सम्प्रति इन बालिकाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी बालिकाओं के आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत् निजी विद्यालयों में कक्षा–8 में नामांकन से लेकर कक्षा 12वीं तक अध्ययनरत एवं 18–19 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली अर्हत्ताधारी बालिकाओं को भी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।

4. सम्यक विचारोपरान्त एतद् हेतु संकल्प सं0–2033, दिनांक– 05.09.2022 के कंडिका 2.3 (ii) को निम्नवत् अन्तः स्थापित किया जाता है:–

2.3 (ii) *"इस योजना के तहत् सरकारी/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित/महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित/National Child Labour Project (NCLP) के अन्तर्गत संचालित/झारखण्ड सरकार द्वारा प्रबंधित/अनुदानित विद्यालयों तथा योजना से संबंधित विभागीय संकल्प सं०--2033, दिनांक–05.09.2022 के निर्गत होने के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् आर्थिक रुप से कमजोर एवं वंचित पृष्ठभूमि के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर कक्षा–8 में नामांकन पश्चात् कक्षा 12वीं तक अध्ययनरत एवं 18–19*

वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अनुमान्य आर्थिक सहायता राशि से अर्हत्ताधारी बालिकाओं को आच्छादित किया जाएगा।"

5. विभागीय संकल्प सं0–2033, दिनांक-- 05.09.2022 के कंडिका--2.3 ix को निम्नवत् अन्तः स्थापित किय जाता है :–

2.3 ix *"लाभार्थी बालिका के कंडिका–2.2 मे निर्दिष्ट कक्षा में नामांकन होने पर ही एवं इसका संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन के आधार पर लाभूक को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् आर्थिक रुप से कमजोर एवं वंचित पृष्ठभूमि के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर नामांकित बालिकाओं का सत्यापन भी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य/ प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा किया जायेगा।"*

6. योजनान्तर्गत पूर्व के निर्गत राज्यादेश इस हद तक संशोधित होंगे।

7. एतद् संशोधन संकल्प निर्गत होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

8. दिनांक–06.09.2024 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् के बैठक के मद संख्या–18 के रुप में सम्मिलित एवं स्वीकृत।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी 50 प्रतियाँ महालेखाकार (ले० एवं हक०) झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाये।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

18/09/24

(मनोज कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–05/म0स०/रा0यो0 (SBPKSY)–328/2023 – 2263 राँची, दिनांक 18.09.2024

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड का कार्यालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/09/24

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–05/म0स०/रा0यो0 (SBPKSY)–328/2023 – 2263 राँची, दिनांक 18.09.2024

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/09/24

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–05/म0स०/रा0यो0 (SBPKSY)–328/2023– 2263 राँची, दिनांक 18.09.2024

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार/विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/09/24

सरकार के सचिव।